स032-7/2011-एन.डी.एम.-I

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(आपदा प्रबन्धन प्रभाग)

लोकनायक भवन, नई दिल्ली

दिनांक, 16 जनवरी, 2012

सेवा में

1. सभी राज्यों के मुख्य सचिव
2. राहत आयुक्त/सचिव, सभी राज्यों के आपदा प्रबन्धन विभाग

विषयः वर्ष 2010-2015 तक की अवधि के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस.डी.आर.एफ.) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एन.डी.आर.एफ.) से सहायता देने की मदों और मापदंडों में संशोधन

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2010-2015 की अवधि के लिए प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तत्काल राहत पर हुए व्यय के वितपोषण पर तेरहवें वित आयोग की सिफारिशों पर किए गए विचार और इस मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. से सहायता देने संबंधी मदों और मापदंडों को संशोधित कर दिया है। पहचान की गई प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. से सहायता दी जाने वाली मदों और मापदंडों की अनुमोदित सूची संलग्न है। ये संशोधित मापदंड अग्रलक्षी प्रभाव से तत्काल लागू होंगे।

2. संशोधित मदों और मानदंडों को गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग की वेबसाइट अर्थात् www.ndmindia.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

3. पत्र की एक प्रति संलग्नकों सहित राज्यों के महालेखाकारों को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

4. यह इस विषय पर इस मंत्रालय के पूर्व पत्रों का अधिक्रमण करता है, पिछला पत्र दिनांक 27 जून, 2007 का है जिसकी संख्या 32-34/2007-एन.डी.एम-I है (इसके आगे पत्र संख्या 32-31/2009 एन.डी.एम-I दिनांक 31 जुलाई, 2009 के तहत इसमें संशोधन किया गया है)

भवदीय

(देव कुमार)

निदेशक (डी.एम-I)

दूरभाषः 24642853/फैक्सः 24603033

संलग्नकः यथोक्त,

प्रति सूचना एवं आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई हेतुः

1. सभी राज्य सरकारों के महालेखाकार
2. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.), नई दिल्ली।
3. लेखा महानियंत्रक (सी.जी.ए.), नई दिल्ली।
4. सभी राज्य सरकारों के निवासी आयुक्त।

1

Copy to: -

1. Secretary, National Disaster Management Authority, NDMA Bhawan, Safdurjung Enclave, New Delhi.
2. Ministry of Finance, Department of Expenditure [Ms. Anjuly Chib Duggal, AS (PF-I)], North Block, New Delhi.
3. Ministry of Agriculture [Shri Atanu Purkayastha, Joint Secretary (DM)], Krishi Bhawan, New Delhi.
4. Planning Commission [Shri T.K. Pande, .Joint Secretary (SP)], Yojna Bhawan, New Delhi.
5. All concerned Central Ministries/ Departments / Organizations.
6. PMO / Cabinet Secretariat.
7. PS to HM/ PS to MOS (R)
8. Sr. PPS to Home Secretary/ Secretary (BM)/ Joint Secretary (DM-I)/ Publicity Officer / NIC.

***

अनुलग्नक

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस डी आर एफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया (एन डी आर एफ) से सहायता देने की मदों और मापदंडों की संशोधन सूची

(अवधि 2010-15, गृह मंत्रालय पत्र संख्या 32-7/2011 - एन डी एम -I दिनांक 16 जनवरी, 2012)

क्रम संख्या	मद	सहायता के मापदंड
1	2	3
1	निशुल्क राहत	
	क) मृतकों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान।	प्रत्येक मृतक के लिए 1.50 लाख रु0 इसमें वे भी शामिल हैं जो राहत प्रचालनों में शामिल हैं अथवा तैयारी संबंधी कार्यकलापों से संबद्ध हैं, यह उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा मृत्यु के कारण संबंधी प्रमाण के अध्यधीन है। - विदेश में अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण किसी भारतीय नागरिक की मृत्यु के मामले में, उसके परिवार को यह राहत नहीं दी जाएगी। - भारत के राज्य क्षेत्र में अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण किसी विदेशी की मृत्यु के मामले में उसके परिवार को यह राहत नहीं दी जाएगी।
	ख) एक हाथ या पांव अथवा आंख (खों) की हानि होने पर अनुग्रह राशि का भुगतान	प्रति व्यक्ति 43,500 रु0, जबकि अपंगता 40% और 80% के बीच है। प्रति व्यक्ति 62,000 रु0 जबकि अपंगता 80% से अधिक है। अपंगता की सीमा और उसके कारण के संबंध में सरकारी अस्पताल अथवा डिस्पेंसरी के डाक्टर द्वारा किए गए प्रमाणन के अध्यधीन।
	ग) ऐसा गहरा जख्म जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है।	प्रति व्यक्ति 9300 रु0, एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर। प्रति व्यक्ति 3100रु0 एक सप्ताह से कम अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर।
	घ) प्राकृतिक आपदा के कारण जिनके घर पानी में बह गए हैं / पूर्णरुप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं / एक सप्ताह से अधिक से पानी में डूबे हुए हैं, उन परिवारों	1300 रु0 प्रति परिवार, कपड़ों की हानि के लिए। 1400 रु0 प्रति परिवार, बर्तनों/घरेलू सामान की हानि के लिए।

	के लिए कपड़े और बर्तन/घरेलू सामान।	
	ड.) ऐसे परिवार जिन्हें आपदा के बाद तत्काल निर्वाह एवं संपोषण हेतु आहार की घोर आवश्यकता है, को नि:शुल्क राहत। नि:शुल्क राहत उन लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी जिनके पास खाद्य भंडार नहीं है, अथवा जिनका खाद्य भंडार आपदा में बह गया है और जिनके पास सहायता के कोई अन्य तत्काल साधन नहीं हैं।	30 रु0 प्रति वयस्क और 25 रु0 प्रति बालक/बालिका, उनके लिए जिन्हें राहत कैम्पों में आश्रय नहीं मिला है। राज्य सरकार यह प्रमाणित करेगी कि (i) इन लोगों के पास कोई खाद्य भंडार नहीं है, अथवा उनका खाद्य भंडार आपदा में वह गया है और (ii) पहचान किए गए लाभार्थी राहत कैंपों में नहीं रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार जिला वार इन लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए आधार और प्रक्रिया उपलब्ध कराएगी । निशुल्क राहत उपलब्ध कराने की अवधि राज्य कार्यकारी समिति (एस ई सी) और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) द्वारा किए गए आकलन के अनुसार होगी। सहायता की चूक अवधि 30 दिन की होगी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर और तदनन्तर सूखा/टिड्डी दल आक्रमण के मामले में 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है।
2	**खोज एवं बचाव अभियान**	
	क) खोज और बचाव उपायों/प्रभावित/जिनके प्रभावित होने की संभावना है उन लोगों को खतरे की संभावना वाले स्थानों से हटाने की लागत । ख) तत्काल राहत पहुंचाने और जिंदगियां बचाने के लिए नाव किराए पर लेना।	इस ई सी द्वारा आकलित और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) द्वारा अनुशंसित खर्च की गई वास्तविक लागत के अनुसार - जब तक केन्द्रीय टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया जाता है ये कार्यकलाप पहले ही खत्म हो जाते हैं। अत: राज्य स्तरीय समिति और केन्द्रीय टीम वास्तविक/लगभग वास्तविक लागतों की सिफारिश कर सकती है। - एस ई सी द्वारा आकलित केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) द्वारा अनुशंसित खर्च की गई वास्तविक लागत के अनुसार । - सहायता की मात्रा संकटग्रस्त लोगों के बचाव के लिए नावें किराए पर लेने और अनिवार्य उपस्करों और उसके द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के दौरान मानव-जीवन बचाने, पर किए गए वास्तविक खर्च तक सीमित हो जाएगी।
3	**राहत उपाय**	
	क) प्रभावित / बचाए गए और राहत कैंपों में आश्रय पाए लोगों के अस्थायी	30 दिन की अवधि के लिए, एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार एस ई सी द्वारा कैंपों की

	आवास, खाद्य, कपड़ा, चिकित्सा सुरक्षा आदि हेतु प्रावधान ।	संख्या, उनकी अवधि और कैम्पों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करना आवश्यक होगा। सूखा, अथवा भूकंप अथवा बाढ़ आदि द्वारा हुई व्यापक तबाही जैसी आपदा के बने रहने की स्थिति में, यह अवधि 60 दिन दिन तक और गंभीर सूखे के मामले में 90 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) द्वारा चिकित्सा सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।
	ख) अनिवार्य वस्तुओं को पैराशूट की सहायता के विमान से जमीन पर उतारना।	एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) की अनुशंसा के आधार पर वास्तविक लागत के अनुसार। सहायता की मात्रा, रक्षा मंत्रालय द्वारा अनिवार्य वस्तुओं को पैराशूट की सहायता से जमीन पर उतारने संबंधी बिलों में दर्शाई गई वास्तविक राशि और बचाव अभियानों तक ही, सीमित हो जाएगी।
	ग) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल की आपात कालीन पूर्ति का प्रावधान	एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) की अनुशंसा के आधार पर वास्तविक लागत के अनुसार 30 दिन की अवधि के लिए जिसे सूखे के मामले में 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है।
4	**प्रभावित क्षेत्रों की सफाई**	
	क) सार्वजनिक क्षेत्रों में मलबा हटाना	एस डी आर एफ के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता के लिए एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन के आधार पर और एन डी आर एफ के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता के लिए केन्द्रीय टीम के आकलन के अनुसार कार्य आरंभ होने की तारीख के 30 तीन के भीतर वास्तविक लागत के अनुसार।
	ख) प्रभावित क्षेत्रों से बाढ़ के पानी की निकासी	एस.डी.आर.एफ. के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता के लिए एस.ई.सी. द्वारा आवश्यकता के आकलन के आधार पर और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) के आकलन के अनुसार कार्य आरंभ होने की तारीख से 30 दिन के भीतर वास्तविक लागत के अनुसार।
	ग) लाशों का निस्तारण	वास्तविक लागत के अनुसार, जो एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) की अनुशंसा पर आधारित है।
5	**कृषि**	
(i)	**छोटे और सीमांत किसानों**	

	को सहायता।	
क	भूमि और अन्य नुकसान के लिए सहायता	प्रत्येक मद के लिए 81,00 रु0 प्रति हेक्टेयर
	क) कृषि भूमि से गाद निकालना (जहां पर रेत/गाद निक्षेप की मोटाई 3" से अधिक है, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।	
	ख) पर्वतीय क्षेत्रों में कृषिभूमि से मलबा हटाना।	(इस शर्त के अधीन कि लाभार्थी द्वारा कोई अन्य सहायता/सब्सिडी प्राप्त नहीं की गई / और न ही वह किसी अन्य सरकारी स्कीम के अंतर्गत इसके लिए पात्र है)
	ग) गाद निकालना/ पुनरुद्धार / मछली फार्मों की मरम्मत।	
	घ) भू-स्खलन, हिम स्खलन, नदियों के मार्ग बदलने के कारण हुई पर्याप्त भू-भाग की हानि	25,000 रु0 प्रति हैक्टेयर केवल उन छोटे और सीमान्त किसानों को जिनकी भूमि का स्वामित्व राजस्व अभिलेखों के अनुसार वैध है।
ख	इनपुट सब्सिडी (जहां पर फसलों का नुकसान 50% और उससे अधिक है)	
	क) कृषि फसलों, बागवानी फसलों और वार्षिक बागान फसलों के लिए	3000/- रु0 प्रति हेक्टेयर वर्षा सिंचित क्षेत्रों में। 6000/- रु0 प्रति हेक्टेयर जो आश्वासित सिंचित क्षेत्रों में, न्यूनतम सहायता 500 रु0 से कम नहीं, के अधीन होगी और बुवाई क्षेत्रों में तक सीमित होगी।
	ख) बारहमासी फसलें	8000/- रु0 प्रति हेक्टेयर सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए जो बुवाई किए जा रहे क्षेत्रों और न्यूनतम सहायता, 1000 रु0 से कम नहीं, के अधीन होगी।
	ग) रेशम उत्पादन	3,200 प्रति हेक्टेयर, ईरी, मलबेरी, टुसार के लिए। 4000 रु0 प्रति हेक्टेयर, मुगा के लिए।
(ii)	छोटे और सीमांत किसानों के अतिरिक्त अन्य किसानों को इनपुट सब्सिडी	3000/-रु0 प्रति हेक्टेयर, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में । 6,000 रु0 प्रति हेक्टेयर, आश्वासित सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए। 8000 रु0 प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए। जहां पर फसल की हानि 50% और इससे अधिक है वहां

		पर 1 हैक्टेयर प्रति किसान की सीमा तक और जोत का आकार बड़ा होने पर भी उस पर ध्यान दिए बिना क्रमिक आपदाओं के मामले में 2 हेक्टेयर प्रति किसान, की सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।
6	**पशुपालन - छोटे और सीमांत किसानों को सहायता**	
	(i) दुधारु पशुओं, भारवाही पशुओं अथवा ढुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले पशुओं का पुन: स्थापन।	दुधारु पशु - 16,400 रु0 - भैंस/ गाय / ऊंट / याक आदि 1650 रु0 भेड़ / बकरी भारवाही पशु - 15000 रु0 - ऊंट / घोड़ा/ बैल आदि 10, 000 रु0 बछड़ा / गधा / टट्टू / खच्चर - सहायता आर्थिक रूप से उत्पादक पशुओं की वास्तविक हानि तक सीमित हो सकती है और यह इस बात पर ध्यान दिए बिना कि किसी घर में अधिक पशुओं का नुकसान हुआ है, प्रत्येक घर के लिए एक बड़े दुधारू पशु अथवा 4 छोटे दुधारू पशुओं अथवा 1 बड़े भारवाही पशु अथवा 2 छोटे भारवाही पशु की सीमा के अध्यधीन होगा। (राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम प्राधिकरण द्वारा नुकसान प्रमाणित किया जाएगा)। *मुर्गीपालन:-* प्रति लाभार्थी परिवार को 400/- रु0 की सहायता के अध्यधीन मुर्गीपालन हेतु प्रति पक्षी 37/- रु0। मुर्गीपालन में पक्षियों की मृत्यु प्राकृतिक आपदा के कारण होनी चाहिए। *टिप्पणी:* यदि सहायता किसी अन्य सरकारी स्कीम, अर्थात एवियन इन्फ्लुएंजा अथवा किसी अन्य बीमारी के कारण हुए पक्षियों के नुकसान, से उपलब्ध होती है जिसके लिए पशु पालन विभाग के पास पोल्ट्री मालिकों की क्षतिपूर्ति हेतु कोई अलग स्कीम है तो इन मापदंडों के अंतर्गत राहत हेतु पात्रता नहीं होगी।
	(ii) पशु कैंपों में चारे /फीड कन्सन्ट्रेट का प्रावधान	बड़े पशु - 32 रु0 प्रति दिन छोट पशु - 16 रु0 प्रति दिन एस ई सी द्वारा आवश्यकता आकलन और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) की सिफारिश के आधार पर, वास्तविक लागत के अनुसार 15 दिनों के लिए।

	(iii) पशु कैंपों में जलापूर्ति	एस ई सी द्वारा आवश्यकता आकलन और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) की सिफारिश के आधार पर, वास्तविक लागत के अनुसार 15 दिनों के लिए।
	(iv) दवाइयों और वैक्सीन की अतिरिक्त लागत	वास्तविक लागत के अनुसार, जो पशुधन गणना के अनुसार पशुओं के अनुमान के समनुरूप एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम की सिफारिश (एन डी आर एफ के मामले में) पर आधारित है और दवाइयों व वैक्सीन की आवश्यकता आपदा संबंधित है यह सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किए जाने के अध्यधीन है।
	(v) पशु कैंपों से बाहर के पशुओं के लिए चारा ले जाना।	परिवहन की वास्तविक लागत के अनुसार, पशुधन गणना के आधार पर पशुओं के अनुमान के समनुरूप एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम की सिफारिश (एन डी आर एफ के मामले में) पर आधारित है।
7	**मछली पालन**	
	(i) मछुआरों को क्षतिग्रस्त अथवा गुम हो गई नावों, जालों की मरम्मत/पुन:स्थापन हेतु सहायता। - नाव - डोंगी - बेड़ा - जाल (यदि लाभार्थी किसी अन्य सरकारी स्कीम के अंतर्गत तात्कालिक आपदा हेतु पात्र है अथवा उसने कोई सब्सिडी/ सहायता प्राप्त की है तो उसे यह सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी)	3000 रु0 केवल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नावों के लिए। 1,500 रु0 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जाल के लिए। 7,000 रु0 पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त नावों के पुन:स्थापन के लिए। 1,850/रु0 पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त जाल के पुन:स्थापन हेतु।
	(ii) फिश सीड फार्म के लिए इनपुट सब्सिडी	6000 रु0 प्रति हैक्टेयर । (यदि लाभार्थी पशु पालन, डेयरी और मछली पालन विभाग, कृषि मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई एकमुश्त सब्सिडी के अतिरिक्त किसी अन्य सरकारी स्कीम के अंतर्गत तात्कालिक आपदा हेतु पात्र है अथवा उसने कोई सब्सिडी / सहायता प्राप्त की है तो उसे यह सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

8	हस्तशिल्प / हथकरघा - शिल्पकारों की सहायता	
	i) क्षति ग्रस्त औजारों /उपस्करों के पुन:स्थापन हेतु	उपस्करों के लिए प्रति शिल्पकार 3000 रु0 - सरकार द्वारा क्षति और इसके पुन:स्थापन के संबंध में नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन के अध्यधीन ।
	ii) कच्ची सामग्री / कार्य में लगी वस्तुएं / समाप्त हो गई वस्तुओं की हानि के लिए।	कच्ची सामग्री के लिए प्रति शिल्पकार 3000/- रु0 - सरकार द्वारा क्षति और इसके पुन:स्थापन के संबंध में नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन के अध्यधीन ।
9	आवास	
	क) पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त / नष्ट हो गए मकान	
	i) पक्का मकान	35000 रु0 प्रति मकान
	ii) कच्चा मकान	15,000 रु0 प्रति मकान
	ख) गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त मकान	
	(i) पक्का मकान	6,300 रु0 प्रति मकान
	(ii) कच्चा मकान	3,200 रु0 प्रति मकान
	ग) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान - पक्का/कच्चा दोनों (झोंपडियों के अतिरिक्त) जहां पर क्षति कम से कम 15% है।	1,900/- रु0 प्रति मकान
	घ) क्षतिग्रस्त / नष्ट हो गई झोंपिड़यां:	2,500/- रू0 प्रति झोपड़ी, *(झोपड़ी का अर्थ है अस्थायी तौर पर बनाई गई इकाई जो कच्चे मकान से कमजोर होती है, यह घास-फूस, मिट्टी प्लास्टिक की पन्नियों आदि से बनी होती है, राज्य/जिला प्राधिकरणों द्वारा इसे पारंपरिक तौर पर झोपड़ी के रूप में जाना जाता है।)* टिप्पणी: क्षतिग्रस्त मकान राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित एक अधिकृत निर्माण होना चाहिए।
	ङ) घरों से लगी हुई पशु- अवरोधशाला।	1,250/- प्रति पशु- अवरोधशाला।
10	अवसंरचना	

	क्षतिग्रस्त अवसंरचना (तत्काल प्रकृति की) मरम्मत/पुनरुद्धार (1) सड़के एवं पुल (2) पेयजलापूर्ति कार्य, (3) सिंचाई (4) विद्युत (प्रभावित क्षेत्रों में केवल विद्युत पूर्ति के तत्काल पुनरूद्धार तक सीमित) (5) विद्यालय, (6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (7) पंचायत के स्वामित्व वाली परिसंपतियां। क्षेत्रक जैसे दूरसंचार और विद्युत (विद्युत पूर्ति के तत्काल पुनरूद्धार को छोड़कर), जो स्वंय अपने राजस्वों का सृजन करते हैं, और अपनी निधियों/संसाधनों से तत्काल मरम्मत/पुनरूद्धार कार्य भी आरंभ करते हैं, को छोड़ दिया गया है।	*तत्काल प्रकृति के कार्यकलाप:-* उन कार्यकलापों की निदर्शी सूचियां, जिन्हें तत्काल प्रकृति के कार्य समझा जा सकता है, परिशिष्ट में संलग्न हैं। *आवश्यकताओं का आकलन:-* एस.ई.सी. द्वारा मरम्मत के संबंध में राज्यों की लागत/दरों/अनुसूचियों के अनुसार आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम (एन.डी.आर.एफ. के मामले में) की अनुशंसा के आधार पर। - सड़कों की मरम्मत के संबंध में ट्रैफिक पुनः स्थापन हेतु भारी वर्षा/बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, बालू टिब्बों आदि से प्रभावित सड़कों की मरम्मत के लिए समय-समय पर यथा संशोधित, भारत में सड़कों के रख-रखाव संबंधी मानदंड, 2001 पर उपयुक्त ध्यान दिया जाएगा। संदर्भ के लिए ये मानदंड है:- • सामान्य और शहरी क्षेत्र:- साधारण मरम्मत (ओ.आर.) और आवधिक मरम्मत (पी.आर.) के कुल के 15% तक। • पहाड़ियां :- ओ.आर. और पी.आर. के कुल 20% तक टिप्पणी :- राज्य नियमित रखरखाव और मरम्मत के लिए बजट के अधीन पहले इसके प्रावधान का उपयोग करेंगे।
11	**प्रापण**	
	आपदा की अनुक्रिया हेतु संचार उपस्करों सहित अनिवार्य खोज, बचाव व निकास उपस्करों आदि का प्रापण।	■ राज्य कार्यकारी समिति (एस.ई.सी.) द्वारा किए गए आकलन के अनुसार केवल एस.डी.आर.एफ. से व्यय किया जाएगा (एन.डी.आर.एफ. से नहीं) ■ इस मद पर किया जाने वाला कुल व्यय एस.डी.आर.एफ. के वार्षिक आबंटन के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।

****

(मद संख्या 10)

तत्काल प्रकृति के चिन्हित कार्यकलापों की निदर्शी सूची।

1. **पेयजलापूर्ति :-**
   - (i) हैंडपम्पों/रिंग वैल्स/स्प्रिंग टैप्ड चैम्बर्स/पब्लिक स्टैंड पोस्ट के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्म, सिस्टर्न की मरम्मत करना।
   - (ii) क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों के स्थान पर नई पाइप लाइनों के पुन:स्थापन, स्वच्छ जलाशयों की सफाई (इसे लीकप्रूफ बनाने के लिए) सहित क्षतिग्रत स्टैंड पोस्टों का पुनरूद्धार ।
   - (iii) क्षतिग्रस्त अंतर्ग्रहण - संरचना एप्रोच ढांचों/घाटों सहित क्षतिग्रस्त पम्पिंग मशीन, लीक करने वाले उपरले जलाशयों और वाटर पम्पों की मरम्मत।
2. **सड़कें**
   - (i) दरारों और गड्ढों को भरना, नहरें बनाने के लिए पाइप का प्रयोग , मरम्मत और बांधों पर डामर डालना।
   - (ii) दरारयुक्त पुलियों की मरम्मत
   - (iii) तत्काल सम्पर्कता के पुन: स्थापन हेतु पुलों के क्षतिग्रस्त/बह गए हिस्सों को विपथन उपलब्ध कराना।
   - (iv) पुलों/पुलों के बांधों तक पहुँच मार्ग की अस्थायी मरम्मत, क्षतिग्रस्त रेलिंग पुलों की मरम्मत, तत्काल सम्पर्कता के पुन: स्थापन हेतु सेतुकों की मरम्मत, ट्रैफिक पुन: स्थापन के लिए सड़क के अत्यधिक क्षतिग्रस्त हिस्से पर खुरदरे उपाधार।
3. **सिंचाई :-**
   - (i) क्षतिग्रस्त नहर संरचनाओं की तत्काल मरम्मत और सीमेंट, रेत के बोरों तथा पत्थरों के उपयोग से टैंको और छोटे जलाशयों का मिट्टी/ईंट-पत्थर का काम।
   - (ii) कमजोर क्षेत्रों जैसे पाइपिंग अथवा बांध की दीवारों/बांधो में चूहों के बिलों की मरम्मत।
   - (iii) नहर और अपहन तंत्र से वनस्पतिक सामग्री/निर्माण सामग्री/मलबा हटाना।
4. **स्वास्थ्य:-**

   क्षतिग्रस्त एप्रोच सड़कों, भवनों और पी.एच.सीज/समुदाय स्वास्थ्य केन्द्रों की विद्युत लाइनों की मरम्मत।

5. **पंचायत की सामुदायिक परिसंपतियां**

   (क) गांव की आंतरिक सड़कों की मरम्मत।

   (ख) अपवहन/सिविरेज लाइनों की मरम्मत।

   (ग) आंतरिक जलापूर्ति लाइनों की मरम्मत।

   (घ) गलियों की लाइट की मरम्मत।

   (ड०) प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत घरों, सामुदायिक हॉल, आंगनवाड़ी, आदि की अस्थायी मरम्मत।

*****

//